

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल- 462 004

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 04.11.2021

क्रमांक एफ ए 3-60/2015/1/पांच (80) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2015-पांच (55) दिनांक 5 जुलाई, 2019 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

1. अनुक्रमांक 1 में, कॉलम (3) में शब्द एवं अंक "रूपये 4 एवं पैसा 50 प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रूपये 2 एवं पैसा 50 प्रति लीटर", एवं
 2. अनुक्रमांक 2 में, कॉलम (3) में शब्द एवं अंक "रूपये 3 प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रूपये 1 एवं पैसा 50 प्रति लीटर", प्रतिस्थापित किए जाएं।
- 2/ यह अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर, 2021 एवं 05 नवम्बर, 2021 की मध्यरात्रि से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABH BHAVAN, BHOPAL**

Bhopal, Dated 04/11/2021

Notification

No. F A 3-60/2015/1/V(80): In exercise of the powers conferred by Section 9-AA of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002) the State Government hereby amends the department's Notification No. F-A-3-60-2015-V (55) dated 5th July 2019, namely :-

AMENDMENTS

In the Table, of the said notification, -

1. In column (3) of entry No. 1, for the words and figures "Rupee 4 and 50 Paisa per liter" the words and figures "Rupee 2 and 50 Paisa per liter", and
 2. In column (3) of entry No. 2, for the words and figures "Rupee 3 per liter" the words and figures "Rupee 1 and 50 Paisa per liter", shall be substituted.
2. This notification shall come into force from the midnight of 04th November, 2021 and 05th November, 2021.

By Order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

(R.P. Shrivastava)

Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department